POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 29.04.2026

1.थाना सेक्टर-126 पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशानदेही से चोरी की 01 स्कूटी, 01 मोटरसाइकिल, घटना में प्रयुक्त 01 स्कूटी व अवैध शस्त्र बरामद।

कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण-- वादिया द्वारा स्कूटी चोरी करने के संबंध में थाना सेक्टर-126 पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना सेक्टर-126 पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्तों की पहचान व गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमें गठित की गई थी। थाना सेक्टर-126 पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया गया जिसमें 02 संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा स्कूटी को ले जाते हुए देखा गया। **दिनांक 29.04.2026** को थाना सेक्टर-126 पुलिस द्वारा मैनुअल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना की सहायता से चोरी करने वाले अभियुक्त 1. कैलाश सिंह बघेल पुत्र जय किशन 2. कार्तिक बाजपेई पुत्र विनोद कुमार बाजपेई को सेक्टर-94 नोएडा से **गिरफ्तार** किया गया था। अभियुक्तों के कब्जे/निशानदेही से चोरी की 01 स्कूटी TVS जूपिटर रजि0नं0 UP14FE4341, 01 मोटरसाइकिल रजि0नं0- UP76AV7236, घटना में प्रयुक्त 01 स्कूटी TVS जूपिटर रजि0नं0 UP16CY3520, 01 तमंचा .315 बोर व 02 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद किए गए हैं।

घटनाक्रम का विवरण-- अभियुक्तगण सुनियोजित तरीके से दोपहिया वाहनों की चोरी करते थे। ये पहले ऐसे स्थानों की रेकी करते थे जहाँ वाहन बिना लॉक के खड़े होते थे। इसके बाद अपनी स्कूटी से पहुंचकर एक अभियुक्त चोरी किए जाने वाले वाहन पर बैठता था तथा दूसरा अपनी स्कूटी से पैर के सहारे धक्का देकर वाहन को बिना स्टार्ट किए मौके से ले जाता था, जिससे किसी को संदेह नहीं होता था। चोरी किए गए वाहनों को तत्काल न बेचकर यमुना डूब क्षेत्र की झाड़ियों में छिपाकर रखा जाता था और बाद में अवसर मिलने पर बेचा जाता था। अभियुक्त कैलाश सिंह बघेल अपने पास अवैध तमंचा रखता था, ताकि विरोध की स्थिति में लोगों को डराकर फरार हो सके। पूछताछ में अभियुक्तों ने दिनांक 26.04.2026 को सेक्टर-25 नोएडा से एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल चोरी करना भी स्वीकार किया, जिसे बरामद कर लिया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. कैलाश सिंह बघेल पुत्र जय किशन निवासी ग्राम खुर्द खेडा, थाना कोल, अलीगढ़ वर्तमान पता हरौला सेक्टर-5 नोएडा, थाना फेस-1, गौतमबुद्धनगर, उम्र 26 वर्ष।
2. कार्तिक बाजपेई पुत्र विनोद कुमार बाजपेई निवासी ग्राम सिथरा बुजुर्ग, थाना पुखराया, कानपुर देहात र्तमान पता हरौला सेक्टर-5 नोएडा, थाना फेस-1, गौतमबुद्धनगर, उम्र 21 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण--

A.अभियुक्त कैलाश सिंह बघेल--

1. मु0अ0सं0- 059/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना सेक्टर-126, गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0- 060/2026 धारा 317(5) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना सेक्टर-126, गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0सं0- 194/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना सेक्टर-24, गौतमबुद्धनगर।
4. मु0अ0सं0- 360/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना फेस-1, गौतमबुद्धनगर।
5. मु0अ0सं0- 502/2025 धारा 317(5)/345(3) बीएनएस, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।

B.अभियुक्त कार्तिक बाजपेई--

1. मु0अ0सं0- 059/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना सेक्टर-126, गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0- 060/2026 धारा 317(5) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना सेक्टर-126, गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0सं0- 194/2026 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना सेक्टर-24, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. चोरी की 01 स्कूटी TVS जूपिटर रजि0नं0 UP14FE4341
2. 01 मोटरसाइकिल रजि0नं0- UP76AV7236
3. घटना में प्रयुक्त 01 स्कूटी TVS जूपिटर रजि0नं0 UP16CY3520
4. 01 तमंचा .315 बोर व 02 जिंदा कारतूस .315 बोर

2.थाना सेक्टर-20 पुलिस द्वारा चोरी की घटना सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये गये आभूषण (अनुमानित कीमत करीब 20 लाख रूपये) व घटना में प्रयुक्त कार बरामद।

घटनाक्रम का विवरण-- दिनांक 23.04.2026 को वादिया स्टोर मैनेजर (CARATLANE STORE MALL OF INDIA) में आभूषण चोरी होने की घटना के सम्बंध में लिखित तहरीर देकर थाना सेक्टर-20 पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 29.04.2026 को थाना सेक्टर-20 पुलिस द्वारा मैनुअल इंटेलिजेंस व तकनीकी साक्ष्यों की सहायता से उक्त चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्ता 1-रिद्धि उर्फ रचना पुत्री शिवप्रसाद 2-सरिता गौतम पत्नी शिव प्रसाद को डीएलएफ मॉल के पास से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्ता उपरोक्त के कब्जे से चोरी किये गये आभूषण 1-02 चूड़ियां पीली धातु 2-01 चूडी पीली व सफेद धातु 3-04 ब्रेसलेट पीली व सफेद धातु के 4-03 अंगुठी पीली व सफेद धातु व घटना में प्रयुक्त कार बरामद की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण--

1. रिद्धि उर्फ रचना पुत्री शिवप्रसाद निवासी महेन्द्रा पार्क, थाना महेन्द्रा पार्क, दिल्ली उम्र करीब 30 वर्ष।
2. सरिता गौतम पत्नी शिव प्रसाद निवासी महेन्द्रा पार्क, थाना महेन्द्रा पार्क, दिल्ली उम्र करीब 56 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0 161/2020 धारा 380 भादवि थाना रिठाला मैट्रो, दिल्ली।
2. मु0अ0सं0 6/2023 धारा 380 भादवि थाना जनकपुरी, दिल्ली।
3. मु0अ0सं0 131/2026 धारा 305ए/317(2)/317(5) बीएनएस थाना सेक्टर-20, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण—

1. 02 चूडियां पीली धातु
2. 01 चूडी पीली व सफेद धातु
3. 04 ब्रेसलेट पीली व सफेद धातु के
4. 03 अंगुठी पीली व सफेद धातु
5. 01 कार आई-10 रजि0 नं0 DL6CR7363 (घटना में प्रयुक्त)